15.04.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक से पांच की ओर अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा उपतहसीलदार भावरी के मुकदमा संख्या 01/2009 दिनांक 23.02.2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल पत्रावली के साथ नत्थी हो।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर,सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner